अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना पत्र
मुकदमा नं. 23/2024 हरिराम बनाम ग्राम पंचायत परेवड़ी

GCMS: 2024/59

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06/02/2025	प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2025 को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी एवं 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत होने पर पत्रावली तलब की गयी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा 23/2024 जीसीएमएस नम्बर 2024/60 हरिराम बनाम ग्राम पंचायत परेवड़ी वगैरह में दिनांक 22.01.2025 को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज हुयी। उक्त पत्रावली में उनके फरीक व अधिवक्ता को उक्त नियत तिथी की जानकारी नहीं थी बल्कि उनके ध्यान में 13.02.2025 ही रही हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को पुनः नम्बर में लिया जाकर मेरिट पर निर्णय पारित करने की कृपा करावें। मूल प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा में दोनो पक्षों की ओर से नियमित रूप से पैरवी की जाकर प्रकरण बहस स्तर पर विचाराधीन था। परन्तु प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2025 को खारिज हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र का अवलोकन किया गया एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी काबिल स्वीकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया गया। मूल प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया जिसमें पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा बहाल करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या 03/2024 जीसीएमएस नम्बर 2024/59 हरिराम बनाम ग्राम पंचायत परेवड़ी में दिनांक 06.02.2025 को निर्णय पारित किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता हैं। आदेश सरे इजलास आज दिनांक 06.02.2025 को सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.09.09 16:48:13 IST
Reason: SelfAttested